(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6) 11/ 2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Bandli

Dated Shimla-2, the

7th June. 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-17/99 dated 1.11.1999 to declare **Bandli as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 41 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others:

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Bandli Wildlife Sanctuary, the actual area on ground has been found 32.11 sq. km. This area of 32.11 sq. km shall now constitute Bandli Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the said Act is pleased to declare the said area of 32.11 sq. km of Bandli as 'Bandli Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of Bandli Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Sanctuary	Constituents i)District ii) Forest Division	Boundaries of Bandli Wildlife Sanctuary.
1.	Bandli	i)Mandi ii)Kullu WL Division	NORTH: Boundary starts from Boundary Pillar No. 61 upto 80 of Bandli D.P.F and along point 1763 mtr., 1636 mtr. and across Kohal nalla DPF boundary along Bhadrohlu nalla. EAST: -Boundary Pillar No 80 upto 94 of Bandli D.P.F upto Seri khad. SOUTH: From Boundary Pillar No. 94 upto 95 of Bandli D.P.F. along Seri khad.
			WEST: Boundary Pillar No. 95 to 162 and 1 upto 61 of Bandli D.P.F. exclusive of adjacent cultivation.

This area is situated within the Geo-coordinates North Lat.31°28'37"N & Long.76°53'43"E East Lat.31°25'41"N & Long.76°56'47"E, South Lat.31°25'13"N & Long.76°55'38"E West Lat.31°27'16"N & Long.76°52'17"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 A/15 on scale 1: 50,000.

Area of Bandli Wildlife Sanctuary= 32.11 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

Copy forwarded to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
- 3. All the Heads of Departments of H.P.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
- 6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
- 7. All the Deputy Commissioners in H.P.
- 8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
- 9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
- 10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
- 11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department. 12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—11 / 2005—II बान्दली तारीख शिमला—2 7 जून, 2013 अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.—बी—एफ—एफ(6)—17/99 तारीख 1—11—1999 द्वारा 41.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **बान्दली** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ—I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5—8—2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1—2—2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और बान्दली वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप मौके पर भू—क्षेत्र 32.11 वर्ग किलोमीटर पाया गया है तथा (32.11 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र) युक्तिकरण के पश्चात् अब बान्दली वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन करेगा;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 32.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से बान्दली वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं।

बान्दली वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम	वन्य	घटक	बान्दली वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
संख्या	जीव	i) जिला	
	अभ्यारण्य	ii) वन मण्डल	
	का नाम		
1	बान्दली	i) मण्डी ii) कुल्लू (वन्य जीव) मण्डल	उत्तरः बांदली सीमांकित आरक्षित जंगल (डी पी एफ) की सीमा स्तम्भ संख्या 61 से 80 तक बिन्दु 1763 मीटर, 1636 मीटर और खोल नाला सीमांकित आरक्षित जंगल (डी पी एफ) को पार करते
		11960	हुए भदरोहलू नाला के साथ साथ। पूर्वः बांदली सीमांकित आरक्षित जंगल (डी पी एफ) की सीमा स्तम्भ संख्या 94 से 95 सैरी खड तक ।
			दक्षिण : बांदली सीमांकित आरक्षित जंगल (डी पी एफ) की सीमा स्तम्भ संख्या 80 से 94 तक सैरी खड के साथ साथ।
			पश्चिम : बांदली सीमांकित आरक्षित जंगल (डी पी एफ) की सीमा स्तम्भ संख्या 95 से 162 तथा बूर्जी संख्या 1 से 61 तक साथ लगती कृषि भूमि को छोड़ती हुई ।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः उत्तर अक्षांश 31^0 28' 37'' उत्तर और देशान्तर 76^0 53' 43'' पूर्व । पूर्व अक्षांश 31^0 25' 41'' उत्तर और देशान्तर 76^0 56' 47'' पूर्व । दक्षिण अक्षांश 31^0 25' 13'' उत्तर और देशान्तर 76^0 55' 38'' पूर्व और पश्चिम अक्षांश 31^0 27' 16'' उत्तर और देशान्तर 76^0 52' 17'' पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ए / 15, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल : 32.11 वर्ग कि0 मी0

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार । पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

दिनांक शिमला-2,

प्रतिलिपि निम्न्लिखित् को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--7 जून, 2013 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2

- 2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
- 5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
- 6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
- 7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- 8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
- 9. सहायक विधि परामशीं एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
- 11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी/जावें । 12. गार्ड फाइल ।

अवर संचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।